

अपील सूचना अधिकार संख्या 27/2021 (RCMS 2021/48) (RTI 212982126532892) श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 72 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पो.ओ. नं. 52एफ/313837) बनाम प्रभारी अधिकारी, जन अभाव निराकरण समिति एवं अति. जिला कलेक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर



06.09.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित नहीं है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2021 से जन अभाव अभियोग निराकरण समिति से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत अटारह बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार प्रभारी अधिकारी जन अभाव निराकरण समिति पर 25000/- रुपये शास्ति अधिरोपित करने एवं हर्जाना तथा वांछित सूचनाएं उसे उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 27.01.2021 के द्वारा जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. पत्रांक प्रार्थी 7748 दिनांक 21.09.2020 कार्यालय में पहुंचने की दिनांक व पत्र प्राप्ति का क्रमांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. पत्र प्राप्ति से लेकर इस आवेदन का जवाब दिये जाने तक जो जो कार्यवाही जिस कर्मकार व अधिकारी द्वारा की गयी उसका नाम व पद की कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रति।
3. पत्रांक प्रार्थी जन अभाव निराकरण समिति द्वारा न सुने जाने के नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर



4. पत्र पर जन अभाव निराकरण समिति द्वारा सुनवाई किये जाने की तारीख की सूचना व प्रमाणित प्रति।
5. प्रार्थी के पत्रांक दिनांक 21.09.2020 के पश्चात अन्य व्यक्तियों द्वारा जो आवेदन जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए व सुने गये उनके नाम, पता व सुने जाने की दिनांक की सूचना।
6. पत्रांक प्रार्थी राधेश्याम गोयल बनाम एम.डी जी.के.एस.बी, एसडीएम, श्रीगंगानगर व महेन्द्र पाल सिंह के मामले में महेन्द्रपाल सिंह द्वारा सितम्बर 2017 से अक्टूबर 2018 तक दोनों स्थानों से (बैंक प्रशासन व विधिक सेवा प्राधिकरण में परिवार कल्याण समिति से वेतन व मानदेय उठाने बावत सूचना व प्रमाणित प्रति।
7. पत्रांक प्रार्थी 7760 दिनांक 28.09.2020 कार्यालय में पहुंचने की दिनांक एव आर.आर. नम्बर की सूचना व प्रमाणित प्रति।
8. पत्र प्राप्ति से इस आवेदन का जबाव देने तक जो-जो कार्यवाही जिस कर्मकार व अधिकारी द्वारा की गई है, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
9. पत्रांक प्रार्थी 7760 दिनांक 28.09.2020 जन अभाव अभियोग निराकरण समिति द्वारा न सुने जाने के नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।
10. प्रार्थी के पत्रांक 28.09.2020 के पश्चात अन्य जिन व्यक्तियों व परिवादियों के आवेदन जन अभाव अभियोग निराकरण समिति में प्राप्त होने पर जिस दिवस सुने गये उनके नाम पता व सुने जाने की तिथि की सूचना।


11. प्रार्थी का प्रकरण सुने जाने की दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
12. प्रार्थी का पत्रांक 776 दिनांक 28.09.2020 अनवान राधेश्याम गोयल बनाम उपखण्ड अधिकारी, उप पंजीयक श्री संजय अग्रवाल व श्री ओमनाथ भाटिया, सहायक कर्मकार, प्रकरण बावत श्री ओमनाथ भाटिया द्वारा दिनांक 22.06.2020 को उपपंजीयक कार्यालय व तहसील कार्यालय दो स्थानो पर उपस्थिति दिखाये जाने पर वेतन उठाने बावत की गयी कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
13. पत्रांक प्रार्थी 7764 दिनांक 28.09.2020 अनवान राधेश्याम गोयल बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर आदि बावत श्री सुमित्रा बिश्नोई उप पंजीयक के विरुद्ध प्रार्थना पत्र की सुनवाई अतिरिक्त जिला कलक्टर सर्तकता द्वारा नही सुने जाने बावत सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
14. पत्र प्राप्ति की दिनांक व आर.आर. नम्बर की सूचना व प्रमाणित प्रति।
15. पत्र प्राप्ति से लेकर इस आवेदन का जबाव दिये जाने तक जो जो कार्यवाही जिस-जिस कर्मकार व अधिकारी द्वारा की गयी उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
16. प्रार्थी का पत्रांक दिनांक 28.09.2020 क्रमांक 7764 जन अभाव अभियोग निराकरण समिति द्वारा न सुने जाने के नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।
17. प्रार्थी के पत्रांक दिनांक 28.09.2020 क्रमांक 7764 के पश्चात अन्य व्यक्तियों के आवेदन पर जन अभाव अभियोग निराकरण समिति द्वारा सुने जाने के दिनांक, नाम व पत्र की सूचना।

18. प्रार्थी के पत्रांक 7764 दिनांक 28.09.2020 पर जन अभाव अभियोग निराकरण समिति द्वारा सुने जाने के नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।

प्र-नारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 6995 दिनांक 21.01.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मा० सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.02.2021 जो कार्यालय लोक सूचना अधिकारी अति. कलक्टर प्रशासन से इस शाखा में प्राप्त दि० 15.03.2021 में चाही गई इस शाखा से सम्बन्धित सूचना जो एक सौ चौतीस पृष्ठ की है जो दो रूपये प्रति पेज की दर से दो सौ अड़सठ रू० का पोस्टल आर्डर जमा करवा कर प्राप्त करने व इसके अतिरिक्त अन्य कोई सूचना की आवश्यकता है तो किसी भी कार्यालय दिवस में उपस्थित हो कर पत्रावली का अवलोकन कर सूचना प्राप्त करने के लिए प्रार्थी को इस शाखा के पत्रांक 6778 दिनांक 17.03.2021 के द्वारा रजिस्टर्ड पत्र लिखा गया। (चित्रित प्रति संलग्न) जिस पर प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक उक्तानुसार फीस जमा नहीं करवाई गई है। फीस जमा करवाने पर नकले उपलब्ध करवाई जावेंगी।

इसके अतिरिक्त अन्य कार्यालय से सम्बन्धित सूचना को लिए पत्रांक 6779-83 दिनांक 17.03.2021 के द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को सूचना प्रार्थी को सीधे ही उपलब्ध करवाने के लिए लिख दिया गया है। (चित्रित प्रति संलग्न)


जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी को प्रभारी अधिकारी, सतर्कता प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 6778 दिनांक 17.03.2021 से निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 12.02.2021 प्राप्त दिनांक 15.03.2021 के संदर्भ में चाही गई इस कार्यालय की सतर्कता शाखा से सम्बन्धित सूचना एक सौ चौतीस पृष्ठ की है जो दो रूपये प्रति पेज की दर से दो सौ अड़सठ रु. का पोस्टल आर्डर जमा करवा कर प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सूचना की आवश्यकता है तो किसी भी कार्यालय दिवस में उपस्थित होकर पत्रावली का अवलोकन कर सूचना प्राप्त कर सकते है। अन्य विभाग से सम्बन्धित सूचना के लिए उन्हें पृष्ठांकित कर दिया गया है।
संलग्न : उपरोक्तानुसार।

-sd-


लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

क्रमांक :सतर्कता/2021/6779-83 दिनांक 17.03.2021

1. प्रभारी अधिकारी, सामान्य शाखा बिन्दु संख्या 1, 2, 7,8, 14, 15 आपकी शाखा से सम्बन्धित है, सूचना प्रार्थी को सीधे की उपलब्ध करवाते हुए इस शाखा को अवगत कराने हेतु प्रेषित हैं
2. प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा बिन्दु संख्या 12 आपकी शाखा से सम्बन्धित है, सूचना प्रार्थी को सीधे ही उपलब्ध करवाते हुए इस शाखा को अवगत कराने हेतु प्रेषित हैं।
3. एम.डी, जी.के.एस बैंक, श्रीगंगानगर, उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को बिन्दु संख्या 6 व अन्य सम्बन्धित बिन्दु की सूचना प्रार्थी को सीधे ही उपलब्ध करवाते हुए इस शाखा को अवगत कराने हेतु प्रेषित है।
4. सूचना का अधिकार, कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर को पत्रांक 336 दिनांक 05.03.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ।

-sd-


लोक सूचना अधिकारी
एवं प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर


जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं का उत्तर प्रभारी अधिकारी सतर्कता प्रकोष्ठ, कलकट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 6778 दिनांक 17.03.2021 द्वारा दिया जा चुका है जिसके अनुसार अपीलार्थी दो सौ अडसठ रूपये राजकोष में जमा कर वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है और शेष सूचनाओं का सम्बन्ध अन्य शाखाओं से है इसलिए अपीलार्थी अन्य समस्त बिन्दुओं की सूचना उक्तानुसार दर्शित शाखाओं से प्राप्त कर सकता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है आदेश की प्रति प्रभारी अधिकारी, सतर्कता प्रकोष्ठ, कलकट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तुरतीब तकमील दाखिल दफ़तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(जावेद हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर